

फर्द अहकाम

हेमराज बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र संख्या: 327/25

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23.04.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत हिस्सा शुद्धिकरण पेश किया। पत्रावली में सलंगन दस्तावेजात् का मनन एवं अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत हिस्सा दुरुस्ती स्वीकार किया जाता है।</p> <p>तहसीलदार सांगानेर को वाके ग्राम अवानिया पटवार मण्डल अवानिया तहसील सांगानेर में स्थित खाता संख्या 66 में केली देवी पुत्री भैरु का हिस्सा 1/45 के स्थान पर 1/15, जमना देवी पुत्री देवीसहाय का हिस्सा 1/45 के स्थान पर 1/90, धारा देवी पुत्री देवीसहाय हिस्सा 1/45 के स्थान 1/90 ना.बा. काव्या पुत्री दिनेश का हिस्सा 1/45 के स्थान पर 1/180, ना.बा. हंसराज पुत्र दिनेश हिस्सा 1/45 के स्थान पर 1/180, नारायणी देवी पुत्री भैरु हिस्सा 1/45 के स्थान पर 1/15, नोसर देवी पत्नी स्व० राजाराम हिस्सा 1/45 के स्थान पर 1/60, पूजा पुत्री राजाराम हिस्सा 1/45 के स्थान पर 1/60, प्रेमदेवी पुत्री राजाराम हिस्सा 1/45 के स्थान पर 1/60, फूली देवी पुत्री देवीसहाय हिस्सा 1/45 के स्थान पर 1/90, बंसती देवी पत्नी स्व० दिनेश हिस्सा 1/45 के स्थान पर 1/180, भूरी देवी पत्नी स्व० भैरु हिस्सा 1/45 के स्थान पर 1/15, मुकेश पुत्र देवीसहाय हिस्सा 1/45 के स्थान पर 1/90, सायर देवी पत्नी स्व० देवीसहाय हिस्सा 1/45 के स्थान पर 1/90, हेमराज पुत्र देवीसहाय हिस्सा 1/45 के स्थान पर 1/90 एवं खाता संख्या 102 में केली देवी पुत्री भैरु का हिस्सा 1/15 के स्थान पर 1/5, जमना देवी पुत्री देवीसहाय का हिस्सा 1/15 के स्थान पर 1/30, धारा देवी पुत्री देवीसहाय हिस्सा 1/15 के स्थान 1/30 ना.बा. काव्या</p>	

उपखण्ड अधिकारी

जयपुर विधीय (सांगानेर)

327/2025

हेमराज वनाग्र लुटका

पुत्री दिनेश का हिस्सा 1/15 के स्थान पर 1/60, ना.
बा. हंसराज पुत्र दिनेश हिस्सा 1/15 के स्थान पर
1/60, नारायणी देवी पुत्री भैरु हिस्सा 1/15 के स्थान
पर 1/5, नोसर देवी पत्नी स्व० राजाराम हिस्सा 1/15
के स्थान पर 1/20, पूजा पुत्री राजाराम हिस्सा 1/15
के स्थान पर 1/20, प्रेमदेवी पुत्री राजाराम हिस्सा 1/15
के स्थान पर 1/20, फूली देवी पुत्री देवीसहाय हिस्सा
1/15 के स्थान पर 1/30, बंसती देवी पत्नी स्व० दिनेश
हिस्सा 1/15 के स्थान पर 1/60, भूरी देवी पत्नी स्व०
भैरु हिस्सा 1/15 के स्थान पर 1/5, मुकेश पुत्र
देवीसहाय हिस्सा 1/15 के स्थान पर 1/30, सायर देवी
पत्नी स० देवीसहाय हिस्सा 1/15 के स्थान पर 1/30,
हेमराज पुत्र देवीसहाय हिस्सा 1/15 के स्थान पर
1/30 दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर
बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को सुनाया गया।



(हिम्मत सिंह)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी

जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)

जयपुर